

Please upload  
IP (Mamika)  
Nub  
27.05.2020


राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांक: प.8(क)(वि.सं.)( )डीएलबी/19/6308

दिनांक: 20-5-2020

### आदेश

राज्य सरकार के निर्देशानुसार श्री अनिल शर्मा, एडवोकेट, को नगरपालिका रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ के विरुद्ध न्यायिक प्रकरणों में अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करने हेतु पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार नियुक्त किया जाता है। इनको विभागीय आदेश क्रमांक 14702 दिनांक 18.09.2000 के तहत मासिक मानेदय एवं आदेश क्रमांक 3465 दिनांक 02.07.13 तथा परिपत्र क्रमांक 1747-1937 दिनांक 04.03.14 के अनुसार पारिश्रमिक भुगतान नगरपालिका रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ से देय होगा। उक्त आदेश पद रिक्त होने पर ही लागू होगा।

  
(उज्ज्वल राठौड़)


निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8 (क)(वि.सं.)( )डीएलबी/20/6309-6317

दिनांक: 20-5-2020

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर।
04. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग उदयपुर।
05. अध्यक्ष/अधिसाषी अधिकारी, नगरपालिका, रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।
06. श्री अनिल शर्मा, एडवोकेट मार्फत, नगरपालिका, रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़।
07. प्रोग्रामर, निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
08. सुरक्षित पत्रावली।

  
(संजय माथुर)

वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी